

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 638/2024

Jaipur Vidhyut Vitran Nigam Limited

----Appellant

Versus

Choti Devi W/o Late Shri Vikram

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Sarvesh Jain

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

08/07/2024

सुना गया।

प्रत्यर्थीगण को इस अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किए जावें। ,

विचारण न्यायालय से प्रकरण का अभिलेख तलब किया जावे।

अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा एक माह की अवधि में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.02.2024 की सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि विचारण न्यायालय में जमा करा दी जाती है तो आक्षेपित निर्णय व आदेश की क्रियान्विति/निष्पादन की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी।

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा करा दिए जाने पर वादीगण/प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 6 उक्त राशि में से 50% राशि आक्षेपित आदेश के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे बशर्ते कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 6 विचारण न्यायालय की संतुष्टि की स्वयं की इस आशय की सशपथ Undertaking प्रस्तुत कर दें कि यदि इस अपील का अंतिम

निर्णय उनके विरुद्ध हो जाता है तो वे प्राप्त की गई राशि व उस पर प्राप्ति की तिथि से अदायगी तिथि तक 6% वार्षिक दर से ब्याज सहित अपीलार्थीगण को लौटा देंगे। शेष 50% राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक वर्ष की अवधि के लिए FDR/FDR^s के रूप में निवेश की जावे एवं आवश्यकता होने पर उसका/उनका समय समय पर नवीनीकरण करवाया जावे।

पत्रावली छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /20